

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शैलेश कुमार,

सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार,

वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा—

आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक—20/03/2025

विषय:— "विकसित बिहार के सात निश्चय" अंतर्गत 33 (तैंतीस) मुख्यमंत्री निश्चय पारामेडिकल संस्थान एवं छात्रावास निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर, प्रति ईकाई रु० 9,98,00,000/— (रुपये नौ करोड़ अन्तानवे लाख) मात्र की दर से कुल रु० 3,29,34,00,000/— (रुपये तीन अरब उन्तीस करोड़ चौतीस लाख) मात्र की लागत पर, वित्तीय वर्ष 2016-17 में पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत्त स्कीम (योजना) के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत सरकार "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2024-25 under Part-I" के अन्तर्गत अतिरिक्त किस्त के रूप में अवशेष राशि रु० 39,34,00,000/— (रुपये उनचास करोड़ चौतीस लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक विभागीय राज्यादेश संख्या-933(1) दिनांक-18.07.2016 द्वारा "विकसित बिहार के सात निश्चय" अंतर्गत 33 (तैंतीस) मुख्यमंत्री निश्चय पारामेडिकल संस्थान एवं छात्रावास निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर, प्रति ईकाई रु० 9,98,00,000/— (रुपये नौ करोड़ अन्तानवे लाख) मात्र की दर से कुल रु० 3,29,34,00,000/— (रुपये तीन अरब उन्तीस करोड़ चौतीस लाख) मात्र की लागत पर, वित्तीय वर्ष 2016-17 में पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी थी।

2— भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के पत्रांक—F.No.44(1)/PF-S/2024-25(CAPEX)-Bihar, दिनांक—24.01.2025, एवं F.No.44(1)/PF-S/2024-25(CAPEX)-Bihar- SACE-54, दिनांक—24.01.2025 तथा वित्त विभाग के पत्रांक—69/वि० दिनांक—27.01.2025 के द्वारा निर्माण का कार्य करने हेतु पूर्व स्वीकृत स्कीम (योजना) अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत सरकार द्वारा "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2024-25 under Part-I" अन्तर्गत अतिरिक्त किस्त के रूप में स्वास्थ्य विभाग को इस परियोजना हेतु कुल रु० 99.34 करोड़ मात्र की स्वीकृति प्राप्त हुई है। उक्त स्वीकृत राशि के अन्तर्गत अवशेष राशि के रूप में रु० 39.34 करोड़ मात्र की स्वीकृति दी जानी है।

3— इस योजना हेतु अब तक आवंटित राशि का विवरण निम्नरूपेण है—

क्र० सं०	वित्तीय वर्ष	राशि (रु० में)	आवंटनादेश सं० एवं दिनांक
1	2016-17	20,00,00,000	सं०-44(1)ब०, दिनांक-31.08.2016
2	2017-18	25,00,00,000	सं०-28(1)ब०, दिनांक-26.07.2017
3	2018-19	120,00,00,000	सं०-37(1)ब०, दिनांक-29.08.2018
4	2019-20	20,00,00,000	सं०-1355(1), दिनांक-03.10.2019
5	2021-22	50,00,00,000	सं०-313(7), दिनांक-09.02.2022
6	2022-23	20,00,00,000	सं०-72(7), दिनांक-20.06.2022
7	2022-23	5,00,00,000	सं०-582(7), दिनांक-20.03.2023
8	2023-24	15,00,00,000	सं०-541(7), दिनांक-27.02.2024
9	2024-25	5,00,00,000	सं०-152(7), दिनांक-29.08.2024
10	2024-25	10,00,00,000	सं०-416(7), दिनांक-07.02.2025
कुल योग—		2,90,00,00,000	

4- उक्त परिप्रेक्ष्य में "विकसित बिहार के सात निश्चय" अंतर्गत 33 (तैंतीस) मुख्यमन्त्री निश्चय पारामेडिकल संस्थान एवं छात्रावास निर्माण हेतु बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर, प्रति ईकाई रु० 9,98,00,000/- (रुपये नौ करोड़ अन्धानवे लाख) मात्र की दर से कुल रु० 3,29,34,00,000/- (रुपये तीन अरब उन्तीस करोड़ चौतीस लाख) मात्र की लागत पर, वित्तीय वर्ष 2016-17 में पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत्त स्कीम (योजना) के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में भारत सरकार "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2024-25 under Part-I" के अन्तर्गत अतिरिक्त किस्त के रूप में अवशेष राशि रु० 39,34,00,000/- (रुपये उनचालिस करोड़ चौतीस लाख) मात्र के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

5- उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा राज्यादेश सं०-933(1) दिनांक-18.07.2016 में वर्णित शर्तों के आधार पर कराया जायेगा।

6- इस राशि के व्यय का वहन माग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-050-भूमि-0103-नए चिकित्सा महाविद्यालय एवं पारा मेडिकल संस्थान हेतु, विपत्र कोड-20-4210030500103 अन्तर्गत विषय शीर्ष 53-मुख्य निर्माण कार्य के 0103-53-01 मुख्य निर्माण कार्य ईकाई में उपबंधित/तृतीय अनुपूरक आगणन से प्राप्त राशि से किया जायेगा।

7- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे तथा नियंत्री पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

8- वित्त विभागीय पत्र संख्या-632वि०, दिनांक-04.07.2023 के क्रम में निर्गत वित्त विभागीय पत्र संख्या-10792/वि० दिनांक-06.12.2023 के क्रम में "Scheme for Special Assistance to State for Capital Investment for 2024-25" के लिए पूँजीगत परियोजनाओं से संबंधित चालू योजनाओं के वित्त पोषण हेतु लोन की राशि से बकाया भुगतान के लिए कार्यान्वयन एजेन्सी (BMSICL) के पी०एल० खाता में हस्तान्तरित करते हुए इसके दूसरे दिन राशि को संबंधित बैंक खाते में हस्तान्तरित कर व्यय किया जाना है। अतएव अवर सचिव सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी०टी०सी० फॉर्म-46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि निगम के पी०एल० एकाउन्ट सं०-PBBPLA007 विपत्र कोड-00-8448001110002-0001 के अन्तर्गत ledger ID----- में जमा करेंगे, जिसे कार्यान्वयन एजेन्सी (BMSICL) के पी०एल० खाता में हस्तान्तरित करते हुए इसके दूसरे दिन राशि को संबंधित बैंक खाते में हस्तान्तरित कर दिशा-निर्देश के अनुरूप विधिवत् प्रक्रिया अपनाते हुए व्यय करेंगे।

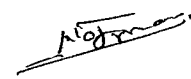
9- वित्त विभागीय पत्रांक-432/वि०, दिनांक-29.03.2023 एवं पत्रांक-69/वि०, दिनांक-27.01.2025 के आलोक में ससमय उपयोगिता प्रमाण-पत्र GFR 12B में विभाग के माध्यम से विहित प्रपत्र में तैयार कर वित्त विभाग को निगम के द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही, पी०एल० एकाउन्ट का धन ऋण ज्ञापन (Plus-Minus Memoranda) तथा पी०एल० खाते में प्राप्ति का चालान एवं व्यय के सुसंगत वाउचर/उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ विहित प्रपत्र में ससमय कोषागार पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करायेंगे एवं इसकी प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे।

10- यह व्ययादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि०(2), दिनांक-17.04.98, 2880/वि०(2), दिनांक-06.05.06, 2938/वि०(2), दिनांक-08.04.08 एवं 3758/वि०(2), दिनांक-31.05.2017, 7111/वि०(2), दिनांक-28.07.2022, पत्रांक-6439/वि०, दिनांक-28.08.2018 एवं पत्रांक-12888/वि०, दिनांक-03.12.2024 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

11- राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के गामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

12- प्रस्ताव एवं प्रारूप पर माननीय मंत्री, स्वास्थ्य का अनुमोदन प्राप्त है।

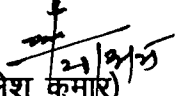
✓



13- प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-1/विविध-35/2016 के पृष्ठ-68/टि0 पर प्राप्त है।

14- यह मात्र व्ययादेश है, आवंटन CFMS के माध्यम से प्रदान किया जायेगा।

विश्वासभाजन


(श्रीलेश कुमार)

सरकार के अपर सचिव

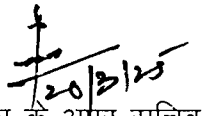
ज्ञापांक:-1/विविध-35/2016- 544 (7) /स्वा0, पटना, दिनांक- 20 / 03 / 2025

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/संबंधित जिलाधिकारी, बिहार/अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/संबंधित असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मा0 मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-7/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, स्वास्थ्य भवन, शेखपुरा, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


सरकार के अपर सचिव
